**Form No. III**

Qn&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**मैसर्स ग्रेसीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड** **बनाम** **प्रधानाध्यापक वगैराह**

**कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)** नं0 **157** सन् **2013**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.08.2024 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी विभागीय स्वीकृति हेतु अवसर चाहते है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली विगत 10 वर्षो से अधिक की लम्बित होकर विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कंपनी प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत क्रमांक/प/5/96/खान ग्रुप–1/92 दिनांक 01.03.1994 से जारी खनन पट्टा क्षेत्र में स्थित ग्राम मेडी का अमराना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 88 रकबा 0.80 हैक्टेयर का खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा निर्धारण बाबत् अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायालय हाजा में दिनांक 13.12.2013 से लम्बित होकर जैरकार है।<br>आराजीयात जैरबहस बाबत् प्रार्थी कंपनी द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में इसी आशय बाबत् प्रकरण संख्या **117/2007(रे0वि0)** प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय हाजा को निर्णय दिनांक **22.06.2010** से निर्णित किया जाकर प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया गया है। उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली हस्तगत पत्रावली के साथ हम किता होकर आदेशिका दिनांक 15.11.2016 से रिकार्ड पर है। हमने पूर्व प्रकरण संख्या 117/2007(रे.वि.) का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पूर्व प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.06.2010 से प्रार्थी कपंनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अस्वीकार किया गया हैं। इसके पश्चात् प्रार्थी कंपनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.06.2010 से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील माननीय **न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़** के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या **048/2010 (एल.आर.)** होकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक **23.02.2011** से प्रार्थी कंपनी की अपील **अस्वीकार** कर न्यायालय हाजा के **निर्णय दिनांक 22.06.2010 की पुष्ठि** की गई है। उक्त निर्णय की प्रमाणित | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रतिलिपि पूर्व प्रकरण संख्या 117/2007(रे.वि.) में हम किता है। इसके साथ ही उभयपक्षकारान द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि माननीय **न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़** के निर्णय दिनांक **23.02.2011** के विरूद्ध **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर** के समक्ष अपील संख्या **2011/3457** जैरकार होकर लम्बित है।<br>सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 से उक्त प्रकरण बाधित होना प्रतीत होता हैं। धारा 11 में प्रावधित किया गया है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिनमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।<br>आराजीयात जैरबहस के संबंध में प्रार्थी कंपनी द्वारा पूर्व में अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्ण विचारण के पष्चात् निर्णय दिनांक 22.06.2010 से अस्वीकार किया गया है। इसके पश्चात् प्रार्थी कंपनी द्वारा उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 048/2010 (एल.आर.) होकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.02.2011 से अपील खारीज फरमाई गई। जिसके विरूद्ध प्रार्थी कंपनी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी कपंनी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी इस न्यायालय में पुनः प्रकरण अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 03.12.2013 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पूर्ण रूप से धारा 11 जा0दी0 से बाधित है। अतः प्रकरण इस न्यायालय से पूर्व में निर्णित हो जाने से पुनः चलने योग्य नहीं है। | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | इसके साथ ही इस न्यायालय से आराजीयात जैरबहस के संबंध में प्रकरण के निस्तारण की जानकारी एवं सक्षम अपीलीय न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी के बावजूद इस न्यायालय में नवीन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो कि विगत दस वर्ष की दीर्घ कालीन अवधि से लम्बित है। प्रार्थी कंपनी के उक्त कृत्य से न्यायालय का समय एवं अन्य संसाधन का दुरूपयोग हुआ है, जिससे प्रार्थी कपंनी के इस आवेदन को भारी से भारी कॉस्ट राशि के साथ खारीज किया गया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् मेडी का अमराना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 88 रकबा 0.80 हैक्टैयर इस न्यायालय से पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 117/2007(रे0वि0) निर्णय दिनांक 22.06.2010 होने के कारण हस्तगत प्रकरण धारा 11 जा0दी0 से बाधित होने से खारीज किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी पर राशि रूपये **20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र** कॉस्ट राशि आरोपित की जाती है। प्रार्थी कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि कॉस्ट राशि विधिक सहायता में जमा करा रसीद/चालान 3 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रस्तुत करे। **अदम अदायगी कॉस्ट राशि प्रार्थी कपंनी से इस प्रकार वसूल किया जावें जैसे की भू–राजस्व की बकाया हो।** पूर्व प्रकरण की मूल पत्रावली पुनः प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को भिजाया जावें। अहकाम की प्रति प्रभारी अधिकारी (डीआरए) अनुभाग कार्यालय हाजा, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सचूनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।<br><br>**-S/d-**<br>(आलोक रंजन)<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>27.08.2024 | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official